

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 668

दिनांक :- 5.8.2022

मुकदमा नंबर 104/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सुरतानसिंह पुत्र रुघनाथसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी राजपुरा थोब, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. नेनसिंह पुत्र सोहनसिंह 2. श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह 3. मानसिंह पुत्र रुघनाथसिंह 4. डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल द्वारा वाके जरिये पुजारी श्यामदासी जी 5. तेजसिंह पुत्र रुघनाथसिंह 6. अनोपसिंह पुत्र सूरजमल 7. सोहनसिंह पुत्र सूरजमल 8. घेवरसिंह पुत्र सूरजमल 9. गुमानसिंह पुत्र सतीशदानसिंह 10. पाबुसिंह पुत्र सतीशदानसिंह 11. खीमसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुरोहितान सभी निवासी राजपुरा थोब तह0 पचपदरा 12. झमकू पत्नी भीमाराम जाति चौधरी, नि0 थोब 13. गुमानसिंह पुत्र जवारसिंह 14. अखेसिंह उर्फ अखाराम पुत्र मादाराम जाति राजपुरोहित निवासी रेवाडा सोढा (फौत) 14/1 पदमसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अखाराम 14/2. दलवीरसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अखाराम 14/3. मोहनसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अखाराम 14/4. रिडमलसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अखाराम (फौत) के विधिक वारिसान :- 14/4/1 डूंगरसिंह पुत्र रिडमलसिंह 14/4/2 घेवरसिंह पुत्र रिडमलसिंह 14/4/3 लक्ष्मी पत्नी रिडमलसिंह 14/5 कोंकूदवी पत्नी अखेसिंह उर्फ अखाराम 15. अर्जुनसिंह पुत्र गणेशसिंह 16. मांगीलाल पुत्र गणेशसिंह 17. गोरधनसिंह पुत्र गणेशसिंह 18. जोगाराम पुत्र उर्फ पदमसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी रेवाडा सोढा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर। 19. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा / कल्याणपुर जिला बाडमेर।

आदेश

दिनांक :- 5.8.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राजपुरा थोब पटवारी क्षेत्र थोब, भू-निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 430/340 क्षेत्रफल 144-19 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 669

दिनांक 5.8.22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मीका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये ।



उपस्थित अधिकारी
(SDO) कल्याणपुर